न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 171/2019

महेश कुमार पुत्र उगमाराम खरबास निवासी खरबासों की ढाणी (कालीभर के पास) गांव भोड़की तहसील उदयपुरवाटी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.11.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.10.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 171/2019 पर दिनांक 24.10.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1599–1600 दिनांक 30.10.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ ने पत्रांक /सू.अ./2019/130 दिनांक 13.11.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू. अ./2019/129 दिनांक 11.11.2019 द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 13.11.2019 को उपस्थित । अपीलार्थी ने वांछित सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2019/129 दिनांक 11.11.2019 द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में निर्धारित समयावधि में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Date: 2019.11.25 12:25:34 IST
Reason: SelfAttested